Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 07-03-2007

Participants : Singh Dr. Raghuvansh Prasad

Title: The Minister of Rural Development made a statement regarding the addition of new districts under the National Rural Employment Gurantee Act, 2005 (NREGA).

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से पारित राट्रीय रोज़गार गारंटी धिनियम, 2005 (एनआरईजीए) सितम्बर, 2005 में अधिसूचित किया गया था। एनआरईजीए में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को रोज़गार की मांग करने पर एक वित्त र्वा में 100 दिन तक के अकुशल शारीरिक कार्य के रूप में स्थानीय रोज़गार दिये जाने की गारंटी है।

एनआरईजीए की धारा 1(3) में यह उल्लेख है कि यह अधिनियम उस संपूर्ण राज्यक्षेत्र को जिस पर इसका विस्तार है, इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से 5 र्वा की अवधि के भीतर लागू होगा। आरम्भ में एनआरईजीए को 2 फरवरी, 2006 को देश के 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था। इन 200 जिलों में 1.66 करोड़ परिवारों को रोज़गार दिया गया है जिसके फलस्वरूप 6 लाख कार्यों पर रोज़गार के 64 करोड़ श्रमदिवस सृजित हुये हैं।

एनआरईजीए के अंतर्गत कवरेज के विस्तार को दृटि में रखते हुये, इसके अंतर्गत 130 और जिलों को शामिल किया गया है।

अतिरिक्त जिलों का निम्नलिखित मानदंडों पर निर्धारण किया गया है :

(1) बीआरजीएफ जिलों की सूची से 50 जिले ।

(2) ऐसे 15 और जिले, जहां किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने की घटनायें हुई हैं।

(3) ऐसे 5 और जिले, जिन्हें अलग कर दिया गया था और एनएफएफडब्लयूपी/आरएसवीवाई /बीआरजीएफ में पहले से ही शामिल जिलों के साथ उनके मूल नाम सहित बनाया गया था। नये नामों वाले ऐसे बनाये गये जिले, जिन्हें इन कार्यक्रमों से बाहर छोड़ दिया गया था, अब शामिल कर दिये गये हैं।

(4) एनएफएफडब्लयूपी जिलों के निर्धारण के लिये उपयोग में लाई गई योजना की पिछड़ेपन की रैंकिंग, अर्थात् अनु.जाति/अनु.जनजाति के लोगों की संख्या, कृषि उत्पादकता के व्युत्क्रम और कृषि मजदूरी के व्युत्क्रम, से 34 जिले चुने गये हैं।

---

* Placed in Library. See No. LT 5863/07

(5) समान वितरण करने की दृटि से प्रत्येक विशे श्रेणी के राज्य और साथ ही ऐसे राज्यों से भी, जिनकी न्यूनतम संख्या उ पर्युक्त (1) से (5) मदों में शामिल नहीं हैं, कम से कम 2 और जिले चुने गये हैं। इसमें 22 जिले आते हैं।

(6) 4 जिलों को लर्निंग इम्पैक्ट जिलों के रूप में लिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर, राट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अतिरिक्त जिलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। उत्तर प्रदेश के जिलों की सूची बाद में जारी की जाएगी।

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Now Shri Shivraj Patil to make a statement.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I will call you. I have promised.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Therefore, I was asking you not to read it.

… (*Interruptions*)

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : मथुरा को नहीं लिया गया। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Please take your seat. This is not the way to do it. अब कुछ नहीं होगा। हम मना कर देंगे।

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप प्लीज़ बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Please take your seats. After the statement regarding the killing of hon. Member, I will allow you.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Not one word will be recorded except the hon. Minister's statement.

(Interruptions) ... (Not recorded)

MR. SPEAKER : This is a serious matter. Please listen. What are you doing?

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : We have lost a colleague.

… (*Interruptions*)